

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

--:आदेश:--

क्रमांक 134 / दो-16-15 / 2024

नर्मदापुरम, दिनांक 13.02.2026

श्री यतिन अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी जिला नर्मदापुरम का दिनांक 03.02.2026 से 4.02.2026 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्याल से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् न्यायिक अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में 102 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।
- 3- अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।
- 4- आवेदक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी जिला नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ रहें।

  
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ. क. 713 / दो-16-15 / 2024

नर्मदापुरम, दिनांक 13.02.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्री यतिन अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

  
जिला रजिस्ट्रार  
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)